भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3570
सोमवार, 08 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक)

नौकरी की तलाश में प्रतिभा पलायन

3570. श्री नायब सिंह सैनीः
श्री एम.के. राघवनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में युवाओं की रोजगार दर के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो केरल राज्य सहित तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत से भारी संख्या में प्रतिभा पलायन का अवलोकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विभिन्न देशों में नौकरियों की तलाश में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने केरल से भारी संख्या में प्रतिभा पलायन का अवलोकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशों में नौकरियों की तलाश में जाने वाले केरल के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है और 2019 को बाद से कितनी नौकरियों का सृजन हुआ है;

(घ) क्या सरकार के पास भारत के अन्य राज्यों में काम करने वाले केरल के व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़ें हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भारत में युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2019 के बाद से कितनी नौकरियों का सृजन हुआ है;

(च) क्या सरकार ने देश के भीतर सेवा क्षेत्र में सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए देश में 'प्रतिभा पलायन' की समस्या का विश्लेषण किया है और प्रतिभा पलायन की समस्या को हल करने और देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्या सरकार के पास देश में प्रतिभा पलायन की समस्या के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़ें हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2020-21 में आयोजित उपलब्ध नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, केरल में सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष के आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 33.7% है।

(ख) से (छ): दिनांक 01.01.2019 से 31.07.2022 तक, केरल के चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से विदेश जाते समय अपने गंतव्य देश के लिए रोजगार/कार्य या रोजगार/कार्य वीजा के रूप में यात्रा के अपने उद्देश्य का मौखिक रूप से खुलासा करने वाले भारतीयों की संख्या 7.30 लाख है।

सरकार ने, अत्यधिक कुशल प्रतिभा पूल को देश में बनाए रखने के लिए पर्याप्त अवसर सृजित करने के मामले में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है और वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और तैनाती के विभिन्न क्षेत्रों में देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विदेशों से भारत में सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास वैज्ञानिकों की वापसी को भी प्रोत्साहित किया है। ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की बाह्य वित्त पोषण योजनाओं और फेलोशिप योजनाओं को, देश में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु डिजाइन किया गया है। अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए कोष स्थापित करने जैसी कई योजनाएं/कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। कोर रिसर्च ग्रांट, जेसी बोस और स्वर्णजयंती जैसी रिसर्च फेलोशिप योजनाओं का लक्ष्य, वैज्ञानिक समुदाय को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना हैं। युवा वैज्ञानिकों को स्वतंत्र बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हें देश में अपना शोध जारी रखने के लिए प्रेरित किया गया है। स्टार्ट-अप रिसर्च ग्रांट, नेशनल पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (एसईआरबी) जैसी योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवा वैज्ञानिकों को समर्थन दिया गया है। एसईआरबी की विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी (वीएजेआरए) स्कीम प्रवासी भारतीयों सहित विदेशी वैज्ञानिकों को एक सीमित अवधि के लिए भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में सहयोगी अनुसंधान करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वैज्ञानिक विभागों में स्थित लचीली पूरक योजना / योग्यता आधारित पदोन्नति योजना और रणनीतिक विभागों में कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) की शुरूआत भी वैज्ञानिकों की भर्ती और उन्हें देश में बनाए रखने में सहायक रही है। सरकार द्वारा किए गए इन सभी उपायों का उद्देश्य, देश में हमारे वैज्ञानिक कार्यबल को बनाए रखना है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2019-20 से दिनांक 30.06.2022 तक पीएमईजीपी के तहत अनुमानित सृजित रोजगार 20.98 लाख है, वर्ष 2019-20 से जून, 2022 तक डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थी 2.48 लाख है और वर्ष 2019-20 से दिनांक 30.06.2022 तक डीएवाई-एनयूएलएम के तहत कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 3.65 लाख है।

इसके साथ-साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

*****